

8/11/24

उत्पन्न के अभिभाषक उपस्थित। प्राची के अभिभाषक को दिनांक 27/3/2023 को आदेशिका अनुसार प्राची-पत्र आदेशिका 22 नियम 3 स्वीकार किये जाने पर प्राची के अभिभाषक को संशोधित प्राची-पत्र पेश करने एवं अप्रार्थी सं 4,5 व 11 को तलबी हेतु रजिस्टर्ड शर्ती नोटिस पेश करने के आदेश दिए गये थे। अभिभाषक प्राची ने उक्त आदेश को पालना आदिनांक तक नहीं की है। लगभग 1 1/2 वर्ष (डेड वर्क) का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अभिभाषक प्राची ने उक्त आदेश को पालना नहीं की है। अतः प्राची का यह प्राची-पत्र संशोधित प्राची-पत्र पेश नहीं करने एवं अप्रार्थी संख्या 4,5 व 11 को तलबी नहीं करने के डिफाक्ट में 09 R5 CPC के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण जॉन कम्प्लायन्स / अफमलकमील में यह प्रकरण रजिस्ट्रिज किया जाता है। प्रवाली फैसल शुभार हेफर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर